शीर्ष प्राथमिकता/तत्काल

संख्या-24/75/78-1-2014-78/2009

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव]
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
श्रीट्रान इण्डिया लि0,
सी-5, औघोगिक क्षेत्र, साइट-4,
साहिबाबाद, गाजियाबाद (उ0प्र0)

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक 07मार्च, 2014

विषय:- श्रीट्रान इण्डिया लि0 के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय श्रीट्रान इण्डिया लि0 के पत्र संख्या-एस0आई0एल0/IVपी0सी0/18, दिनांक 16-01-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा भेजी गयी सूचनाओं से वित्त विभाग संतुष्ट नहीं है। अत: वित्त विभाग द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में पुन: सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है-

(1) नई नियमित नियुक्तियां नहीं की जायेगीं, जब तक कि टर्न ओवर (Turn Over) 3-4 से गुना न बढ जाय, कोई भी देनदारी भुगतान हेतु न बचे और सकल हानियां (Accumlated losses) खत्म हो जायं।

(2) लाभ शासनादेश जारी होने के दिनांक से देय होगा, किसी भी प्रकार के एरियर की न तो मांग की जायेगी और न देय होगा।

(3) कोई भी देनदारी में शासन से वी0आर0एस0 हेतु प्राप्त ऋण का भुगतान भी आता है, इस संबंध में भी स्थिति स्पष्ट करें।

2- कृपया उक्त बिन्दुओं पर अपनी सुस्पष्ट आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in